न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1561–एक/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–8–08 पारित द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 202/अ–25/07–08.

———

सेवाराम पुत्र श्री धीरज पटेल,
निवासी बरही तहसील बहोरीबंद
जिला कटनी म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, कटनी ——— अनावेदकगण

———

श्री ए0 के0 गौतम, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28.10.2015 को पारित)

———

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 202/अ–25/07–08 में पारित आदेश दिनांक 11–8–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी के ग्राम बरही स्थित भूमि खसरा नं. 570 एवं 572 रकबा कमशः 0.78 हैक्टर, 1.07 हैक्टर कुल रकबा 1.85 हैक्टर भूमि के बदले शासकीय भूमि खसरा नं. 745, 728/रु1 रकबा कमशः 1.36 हैक्टर, 1.16 हैक्टर जो घास सरकार मद में दर्ज है की मांग की गई । एस.डी.ओ. द्वारा तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त कर कलेक्टर कटनी को भेजा । कलेक्टर कटनी ने उक्त आवेदक का आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि यदि प्रश्नाधीन भूमि को दबादला में दिया जाता है तो भविष्य में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि वंटन हेतु काबिल काश्त भूमि शेष नहीं बचेगी । इस आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो विद्वान आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त

की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि की अदला–बदली का है । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि शासकीय भूमि सर्वे नं. 728/1 का रकबा 1.16 हैक्टर बंटन हेतु शेष है तथा सर्वे नंबर 745 का रकबा 1.36 हैक्टर घास सरकार है । ऐसी स्थिति में यदि सर्वे नं. 728/1 जो काबिल काश्त है और बंटन के लिए शेष बचा है और यदि इस भूमि को तबादले में दिया जाता है तो भविष्य में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि वंटन हेतु काबित काश्त भूमि शेष नहीं बचेी । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं की गई है और कलेक्टर के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा पूर्णतयाः वैधानिक कार्यवाही की गई है । इस कारण आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11–8–08 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर